टिम्बर परिवहन में प्रजातियों की छूट सम्बन्धी परिपत्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक : एफ 19(अ) 84–85/पार्ट–5/प्रमुवसं/8488–8637 दिनांक 26.9.2006

राज्य के समस्त वनाधिकारियों को स्मरण कराया जाता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.7.86 द्वारा समस्त प्रजातियों की वन उपज को राज्य के भीतर अयात्रिकी (Non-mechanised) वाहनों के माध्यम से परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। इसके उपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.1.1991 सहपठित संशोधन दिनांक 21.7.99 द्वारा सात प्रजातियों (सफेदा, सू–बबूल, अरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल और शीशम) की इमारती लकडी को पूरे राज्य में (कपितय क्षेत्रों को छोड़कर) यांत्रिकी साधनों सहित परिवहन की छूट प्रदान की गई थी। तदुपरांत इसी क्रम में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 16.9.05 द्वारा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों को छोड़कर पापूलर प्रजाति के वृक्षों की लकड़ी के परिवहन की भी छूट प्रदान की गई थी।

इस कार्यालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के पर्यावरण संतुलन एवं जैव विविधता के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिसूचनाओं से विविधप्रजातियों की टिम्बर के परिवहन को समय–समय पर प्रदान की गई छूट को सीमित करने हेतु पुर्नविचार करने बाबत राज्य सरकार से निवेदन किया गया।

राज्य सरकार द्वारा प्रकरण का पुन: गहन परीक्षण किया गया तथा पूर्व अधिसूचना दिनांक 15.7.1986 एवं 19.1.1991 को अतिलंघित करते हुए नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी की है, जिसकी प्रति को इस परिपत्र के पृष्ठभागमें दर्शा दिया गया है। नवीन अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार क्षरा अब मात्र निम्नांकित 8 प्रजातियांको टिम्बर को राज्य के भीतर समस्त प्रकार के साधनों (यांत्रिकी या गैर यांत्रिकी) से परिवहन हेतु राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है:–

यूकेलिप्टस, सू–बबूल, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल, शीशम और पॉपलर परन्तु यह है कि –

1. उपरोक्त छूट शीशम, यूकेलिप्टस और देशी बबूल के लिये जिला गंगानगर, और हनुमानगढ, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले की तहसील फलौदी और ओसियों के लिये लागू नहीं होगी।

2. उपरोक्त छूट पॉपलर प्रजाति के लिये जिला श्रीगंगानगर और हनुमानगढ के लिये लागू नहीं होगी।

अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि नवीन अधिसूचना दिनांक 2.9.2006 जारी होने के उपरांत 8 प्रजातियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रजाति की टिम्बर को किसी भी प्रकार के परिवहन साधनों से (यांत्रिकी अथवा गैर यांत्रिक) परिवहन किया जाना राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 का उल्लंघन होगा तथा यह कृत्य वन अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

कृपया उक्तानुसार अपने स्तर से सभी वन अधिकारी/कर्मचारियों को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें एवं इसका व्यापक जन–प्रसार भीकरें। विशेषकर ग्रामीण जनता को इसकी जानकारी रहे, इसलिय पंचायत समिति, जिला कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा किया जावें।

भवदीय,
हस्ताक्षर/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJSATHAN, FOREST DEPARTMENT NOTIFICATION No. F15(33) Forest/98
Jaipur, dated 2 September 2006

In exercise of the powersconferred by second proviso to rule 2 of the Rajathan Forest (Produce Transit) Rules, 1957 and in super-cession of Notification Nos. F2(1)(2) Rev. 8/73 dated 15.7.1986 and F2(1)(2) Rev. 8/73 dated 19.1.1991, the State Government hereby exampts from the operation of the said rules the movement of timber of following species by any mode of transport (mechanized or non-mechanized) only within the State of Rajasthan:-

Encalyptus, Sababul, Ardu, Vilayati Babul, Israeli Babul, Deshi Babul, Shisham and Poplar.

(i) the above exemption shall not be applicable for Shisham, Ecalyptus and Deshi Babul in the districts of sri Gangangar, Hanumangarh, Bikaner, Jaisalmer and Phalodi and Osian Tehsils of Jodhpur district.

(ii) The above exemption shall not be applicable for Poplar in the districts of sri Ganganagar and Hanmangarh

By Order of the Governor,
Signature/-
(Sudarshan Sethi)
Secreatary

(भावार्थ : इस अधिसूचना के माध्यम से 8 प्रजातियों यथा युकेलिप्टस, सू–बबूल, हरडू, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, देशी बबूल, शीशम व पॉपलर को राज्य के अन्दर परिवहन की छूट दी गई है किन्तु, पॉपलर प्रजाति के हनुमानगढ व श्रीगंगानगर तथा शीशम, युकेलिप्टस व देशी बबूल का श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर जिले की फलोदी व ओसियां तहसील में यह छूट लागू नहीं होगी।)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक : एफ 19(अ) 84–85/वसु/प्रमुवसं/पार्ट–v/ 5278 दिनांक 19.6.2007

इस कार्यालय के ध्यान में यह लाया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ15(33) वन/98 दिनांक 10.1.2003 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने प्रोसोपस जूलीफ्लोरा (विलायती बबूल) की लकडी से बने कोयले को राज्य के भीतर परिवहन हेतु टी.पी. की अनिवार्यता से मुक्त किया है, की आड़ में वन क्षेत्रों/वन विभाग द्वारा कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों में भी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा का अवैध कटान कर कोयला बनाने एवं उसका परिवहन करने की घटनायें हो सकती हैं। अतः सभी वनाधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वन क्षेत्रो/वृक्षारोपण क्षेत्रों से प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के अवैध कटान कर कोयला बनाने की घटनाओं को रोकेने केलिए अधनीस्थ स्टॉफ को सख्ती से पाबन्द किया जावे। इसके अतिरिक्त समस्त गश्तीदलों को भी इस संबंध में विशेष रूप से हिदायद दी जावे कि ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु सख्त निगरानी रखी जावे।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना से मात्र राजस्थान राज्य के भीतर के गन्तव्य स्थानों हेतु ही प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की लकड़ी से बने कोयले के परिवहन हेतु टी.पी. की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। अतः इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि राजस्थान राज्य के बाहर उक्त प्रजाति से बने कोयलेका परिवहन नहीं किया जावे।इसके लिए विशेषकर उन स्थानों पर वाहनों की कड़ी चैकिंग की जावे जहां से राज्य के बाहर परिवहन किये जाने की संभावना हो। यह कार्यवाही उन वन मण्डलों में विशेष रूप से की जावे जिनकी सीमा अन्य राज्यों से मिलती हों।

हस्ताक्षर/–
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण
अधिनियम, राजस्थान, जयपुर